मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

मंत्रालय

क्रमॉक 103/470/चार/ब–1/2019 भोपाल दिनांक 11 फरवरी 2020

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
शासन के समस्त विभाग,
मंत्रालय भोपाल ।
2. समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी
मध्यप्रदेश।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2019–20 के माह फरवरी तथा मार्च हेतु व्यय सीमा तथा मितव्ययता के संबंध में दिशा निर्देश।

संदर्भ :– वित्त विभाग का पत्र क्रमांक 500/470/2019/चार/ब–1, भोपाल दिनांक 30 जुलाई 2019

---000---

I. वित्तीय परिदृश्य

1/ संदर्भित परिपत्र के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2019–20 में कोषालय से आहरण के संबंध में निर्देश जारी किये गये थे। 1 फरवरी 2020 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट द्वारा 2019–20 के पुनरीक्षित अनुमान में केंद्रीय करों में म.प्र. की हिस्सेदारी रूपये 49,517 करोड़ रखी गई है, जबकि वर्ष 2019–20 के लेखानुदान में यह राशि रूपये 63,750 करोड़ रखी गई थी। इस प्रकार वर्ष 2019–20 हेतु केंद्रीय करों में म.प्र. को प्राप्त होने वाले हिस्से में रुपये 14,233 करोड़ की कमी हो गयी है।

II. व्यय हेतु सीमाएं

2/ उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए म.प्र. राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के पालन हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 की शेष अवधि के लिये संदर्भित परिपत्र के स्थान पर कोषालय से आहरण हेतु निम्नांकित व्यवस्था निर्धारित की जाती है:–

2.1 <u>**राजस्व व्यय**</u> : वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में राजस्व व्यय हेतु निम्नानुसार सीमायें निर्धारित की जाती हैं :–

(i) इस परिपत्र के **परिशिष्ट 1** अनुसार कतिपय योजनाओं हेतु फरवरी व मार्च की व्यय सीमा निर्धारित की जाती है। आवश्यकता अनुसार इस सीमा पर 15 मार्च पश्चात पुनः विचार किया जा सकेगा ।

(ii) परिशिष्ट 1 के अंतर्गत उल्लेखित योजनाओं को छोड़कर **परिशिष्ट 2** अनुसार व्यय शीर्षों हेतु वार्षिक व्यय सीमा कुल उपलब्ध आवंटन तक सीमित रहेगी। अर्थात यह व्यय शीर्ष प्रतिबंध रहित रहेंगे।

(iii) उपरोक्त दोनों कंडिका (i) व (ii) को छोड़कर शेष व्यय शीर्षों हेतु निम्नांकित में से जो कम हो वह व्यय सीमा होगी।

(अ) 31.01.2020 तक हुए कुल व्यय की 20 प्रतिशत राशि

अथवा

(ब) उपलब्ध आवंटन (विमुक्त) में से 31.01.2020 तक हुए व्यय को घटाने के बाद शेष बची राशि।

इस सीमा का 50 प्रतिशत व्यय माह फरवरी तथा 50 प्रतिशत व्यय माह मार्च में किया जा सकेगा।

<u>**उदाहरण**</u> **1** :– यदि किसी व्यय शीर्ष में बजट प्रावधान रूपये 100 तथा बजट आवंटन रूपये 100 है तथा 31.01.2020 तक उस व्यय शीर्ष में व्यय रूपये 70 है तो माह फरवरी में रूपये 7 तथा माह मार्च में रूपये 7 व्यय किया जा सकेगा।

<u>**उदाहरण**</u> **2** :– यदि किसी व्यय शीर्ष में बजट प्रावधान रूपये 100 तथा बजट आवंटन रूपये 80 है तथा 31.01.2020 तक उस व्यय शीर्ष में व्यय रूपये 70 है तो माह फरवरी में रूपये 5 तथा माह मार्च में रूपये 5 व्यय किया जा सकेगा।

2.2 <u>**पूंजीगत व्यय :–**</u> वित्तीय वर्ष 2019–20 के माह फरवरी तथा मार्च हेतु पूंजीगत परिव्यय की **परिशिष्ट 3** अनुसार विभागवार व्यय सीमा निर्धारित की जाती है। शेष विभागों पर पूंजीगत परिव्यय हेतु उपरोक्त कंडिका 2.1 (ii) एवं (iii) अनुसार सीमा लागू होगी।

III. क्रय पर प्रतिबंध :–

3. वर्ष 2019–20 की शेष अवधि के लिए निम्नांकित मदों पर प्रतिबंध रहेगा :–

(i) कार्यालयीन उपकरण एवं वाहनों का क्रय ।(उद्देश्य शीर्ष– 22 विस्तृत शीर्ष 013 तथा उद्देश्य शीर्ष 23) यदि इस आदेश के जारी होने से पूर्व विभाग द्वारा क्रय किया जा चुका है तब इस आदेश के जारी होने के 7 दिवस पश्चात भुगतान भी प्रतिबंधित होगा।

(ii) पांच सितारा होटल में सेमीनार, कार्यशाला तथा अन्य शासकीय कार्यक्रम आयोजित करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

IV. आहरण से छूट एवं अन्य निर्देश :–

4. आहरण से छूट :–

(i) केंद्र सहायित (केंद्र क्षेत्रीय एवं केंद्र प्रायोजित) योजनाओं हेतु रूपये 100 करोड़ एवं शेष योजनाओं हेतु रूपय 25 करोड़ से अधिक राशि के देयकों के कोषालय से आहरण के लिये वित्त विभाग से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी। यह प्रावधान निर्माण कार्य विभागों/वन विभाग (WDDF/FDDF के देयकों) पर भी लागू होगा।

(ii) सभी प्रकार के देयकों के आहरण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की जायेंगी।

(iii) सभी प्रकार के आहरण में वित्तीय अधिकारों की पुस्तिका/ प्रत्यायोजित अधिकार (Book of Financial Powers/Delegated Powers) का अनिवार्यतः पालन किया जावे। जिन प्रकरणों में वित्तीय अधिकारों को प्रत्यायोजित नहीं किया गया है, उन समस्त प्रकरणों में वित्त विभाग से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही देयक शासकीय कोष से आहरण हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(iv) वित्त विभाग में प्रस्तुत किये जाने वाले आहरण अनुमति के प्रस्तावों में संलग्न **परिशिष्ट–4** अनुसार जानकारी प्रेषित की जाये।

5. **सामान्य निर्देश :–**

(i) व्यय करते समय शासन के मितव्ययता संबंधी समय–समय पर जारी आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाये। किसी भी परिस्थिति में बजट आवंटन से अधिक कोई भी व्यय न किया जाये।

(ii) केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाओं, केंद्र प्रवर्तित योजनाओं तथा अतिरिक्त केंद्रीय सहायता पोषित योजनाओं में केंद्र से धनराशि के प्राप्ति के पश्चात ही केंद्रांश तथा समतुल्य राज्यांश का आहरण कोषालय से किया जाना चाहिये। इन योजनाओं की राशि सक्षम वित्तीय समिति द्वारा अनुमोदित होने के उपरांत ही आहरित की जाये। जिन योजनाओं/कार्यक्रमों में प्रतिपूर्ति के आधार पर राशि प्राप्त होती है, राशि व्यय होने के अधिकतम दो माह के अंदर उसकी प्रतिपूर्ति सुनिश्चित कराई जाये।

(iii) जिन क्षेत्रों/योजनाओं पर विभिन्न निधियों से उपलब्ध धनराशि/बजट प्रावधान का व्यय किया जाना है उनमें वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक– 1156/ब–1 दिनांक 28.10.1983 एवं क्रमांक/ 290/चार/ब–1/86 दिनांक 20.03.1986 में निहित निर्देशें के अनुसार इस बावत् वित्तीय स्वीकृति जारी करने के लिये आवश्यक प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजे जायें।

(iv) बजट अनुमानों में अपरीक्षित मदो में रखे गये प्रावधानों के विरूद्ध व्यय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक– 347/आर. 1703/चार/ब–1–2012 दिनांक 31.03.2017 में उल्लेखित सक्षम वित्तीय समिति के अनुमोदन के उपरातं किया जाये।

(v) वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये। इस हेतु इन निर्देशों के पालन की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी।

म.प्र. के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

11/02/20

(नीरज कुमार सिंह)
संचालक बजट,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
मंत्रालय,भोपाल

पृ0क्रमॉक 104/470/चार/ब–1/2019 — भोपाल दिनांक 11 फरवरी 2020

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन, भोपाल को प्रेषित कर लेख है कि प्रश्नाधीन बजट शीर्ष के बजट सीमा को परिपत्र में उल्लेखित सीमा तक सीमित करने का अनुरोध है ।

11/2/xx

(रूपेश पठवार)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
मंत्रालय,भोपाल

प्रतिबंध रहित श्रेणी

परिशिष्ट–2

क्र.	व्यय का प्रकार	बजट शीर्ष
1.	स्थापना व्यय	उद्देश्य शीर्ष – #11,14,15,16,17,18,19
2.	जहाँ अनुदान से किसी संस्था में वेतन/ भत्तों/ छात्रवृत्ति/ शिष्यवृत्ति का भुगतान होता हो।	• उद्देश्य शीर्ष :– 42, विस्तृत शीर्ष 002 • मांग संख्या– 53 मुख्य शीर्ष– 2202 योजना क्रमांक– 8403 उद्देश्य शीर्ष :– 42 विस्तृत शीर्ष :– 009 • मांग संख्या– 27,33 एवं 40 योजना क्रमांक–4396, 3491, 3496, 2773, 0581, 5216 उद्देश्य शीर्ष :– 42 विस्तृत शीर्ष :– 009 • मांग संख्या– 64 मुख्य शीर्ष– 2202 योजना क्रमांक–2669 उद्देश्य शीर्ष :– 42 विस्तृत शीर्ष :– 009
3.	छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति के सभी मद।	• उद्देश्य शीर्ष –# 41
4.	न्यायालयीन आदेश/डिक्री से संबंधित भुगतान	• उद्देश्य शीर्ष :– # 53
5.	शासन की ऐसी देयताएं, जहाँ निर्धारित तिथि को ही भुगतान होता है। (जैसे ऋण भुगतान, ब्याज भुगतान एवं Annuity राशियाँ)	• मांग संख्या– . (Dot) • मांग संख्या–.. (Double Dot) • मांग संख्या– 11, • मुख्य शीर्ष– 4851 एवं 4875, योजना क्रमांक– 7341 एवं 7879 उद्देश्य शीर्ष– #68 • मांग संख्या 06 मुख्य शीर्ष 2071 एवं 6075 योजना क्रमांक 6787, 6788, 6842 मुख्य शीर्ष 7610 योजना क्रमांक 9084,9085

परिशिष्ट–3

निर्धारित विशेष व्यय सीमा (पूंजीगत)

(राशि रूपये करोड़ में)

क्रं0	विभाग	माँग एवं मुख्य शीर्ष	मासिक व्यय सीमा	
			फरवरी 2020	मार्च 2020
1	लोक निर्माण विभाग	**24,67**–4059, 4216,5054	580	580
2	जल संसाधन विभाग	**23,45**–4700, 4701,4702, 4705,4711	450	450
3	लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग	**20**–4215	225	225
4	नर्मदा घाटी विकास विभाग	**48**–4700,4701,4801	275	275
5	नगरीय विकास एवं आवास विभाग	**22**–4216,4217	110	110
6	अनुसूचित जनजाति विभाग	**33**–4202,4255	100	100
7	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	**30**–4515 **53**–4217,4515	200	200
8	चिकित्सा शिक्षा विभाग	**52–4210**	100	100

वित्त विभाग में प्रस्तुत किये जाने वाले आहरण अनुमति के प्रस्तावों के लिये निर्धारित प्रपत्र।

क्र.	विषय	विवरण
1.	आहरण संवितरण अधिकारी का नाम डीडीओ जिनके द्वारा आहरण किया जायेगा।	
2.	कोषालय का नाम जिसमें आहरण हेतु देयक प्रस्तुत किया जायेगा।	
3.	बजट प्रावधान, आवंटन, अद्यतन व्यय एवं शेष राशि	
4.	यदि राशि आहरण कर बैंक खातों में रखी जावेगी तो योजनांतर्गत संचालित बैंक खातों की जानकारी (अंतिम शेष सहित)	
5.	यदि राशि आहरण कर बैंक खाते में नहीं रखी जावेगी तो इस हेतु प्रमाण–पत्र दें।	
6.	अन्य	

नोट :– आहरण अनुमति के प्रस्तावों के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वित्तीय स्वीकृति आदेशों की प्रति संलग्न की जाये।